CHHATTISGARH

Summary

- **Free Transport for People Living with HIV**

  Free travel benefits to People Living with HIV along with one attendant.

- **Antyodaya Anna Yojana**

  Extending the benefits of AAY (Food Grains) under Targeted Public Distribution System to People Living with HIV in subsidized price.

- **Legal AID for People Living with HIV**

  Legal Aid to People Living with HIV/AIDS

- **Third Gender (Recognition and provision in schemes)**

  Extending the benefits to Third Gender under various schemes of State Government.

- **Food and Civil Supply & WCD- Scheme for FSW**

  AAY card to Female Sex Workers for extending the benefits of food grains under Targeted Public Distribution System.

- **Housing**

  Reservation of 2% for Third Gender and PLHIV for Housing Schemes of Chhattisgarh Govt.

- **Leave (collages, educational institutions) for taking ART from**

  Leave from collage/ educational institution for purpose of taking ARV from ART Centre

- **Skill Mission**

  Provision of imparting appropriate skills (based on capacity) and livelihood option for PLHIVs

- **Free Transport Leave (collages, educational institutions) for taking ART from**

  Leave from collage/ educational institution for purpose of taking ARV from ART Centre

कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़
बस स्टेण्ड परिसर पंडरी रायपुर

क्रमांक 2762 /तक 264/टीसी /10 रायपुर दिनांक 19/10/2010

प्रति

क्षेत्रीय/अति0 क्षेत्रीय /जिला
परिवहन अधिकारी
छत्तीसगढ़

विषय: प्रकम वाहनों के किराये की दरों मे संशोधन का क्रियान्वयन ।

संदर्भ: छत्तीसगढ़ के राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना कमांक 2703 / परि वि0 /2010 दिनांक 15/10/2010

विषयांतर्गत राज्य शासन द्वारा प्रकम वाहनों के किराये की दरों मे संशोधन संबंधी अधिसूचना छत्तीसगढ़ के राजपत्र में अधिसूचना क्रमांक 2703 /परि वि0/2010 दिनांक 15/10/2010 मे प्रकाशित की गई है । ये दरें प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील की गई गई है सुलभ संदर्भ के लिए अधिसूचना की छाया प्रति रेडीरेकनर एवं मॉडल किराया सूची संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अपने क्षेत्र के सभी बस संचालकों को किराया सूची प्रारूप अनुसार ही जारी करें एवं आम जनता की जानकारी के लिए बस स्टेण्ड एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रदर्शित कराने की कार्यवाही भी की जावें।

संलग्न उपरोक्तानुसार

अपर परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़

क्रमांक /तक 264 /टीसी /10 रायपुर दिनांक /10/2010

प्रतिलिपि

1- माननीय अध्यक्ष राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण डीकेएस भवन मंत्रालय परिसर रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
2- आयुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार रायपुर, बिलासपुर जगदलपुर, अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ ।
3- संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासनपरिवहन विभाग डीकेएस भवन मंत्रालय परिसर रायपुर की ओर सूचनार्थ
4 समस्त शाखा प्रभारी मुख्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अपर परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़

40 Stage cary fare

पंजीयन दिनांक 30 . . 200.

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2010 — आश्विन 23, शक 1932

विषय—सूची

भाग 1 —(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2 —स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3 —(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4 —(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक. (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2010

क्रमांक ई 1 1/2010/1/2 - श्री अंकित आनंद, भा. प्र. से. (2006) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कांकेर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एस. भारतीदासन, भा. प्र. से. (2006) आयुक्त नगर निगम, राजनांदगांव की सेवायें नगरीय विकास विभाग से वापस लेते हुये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कांकेर के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती हैं.

मुद्रक तथा प्रकाशक—उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010

64

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक ई 01 01/2010/[illegible] — श्री [illegible] कुमार सिंह [illegible], मुख्य मंत्री, [illegible] मण्डल एवं [illegible] निर्वाचन [illegible] को [illegible] [illegible] तो आगामी आदेश [illegible] संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार [illegible]

छत्तीसगढ़ [illegible] के नाम से तथा आदेशानुसार,
[illegible] अग्रवाल, [illegible]

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2010

क्रमांक 1006/742/2010/1-8/स्था.— श्री विजय कुमार सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 6-9-2010 से 10-9-2010 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2 श्री विजय कुमार सिंह के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री बी. एल. [illegible], अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3 अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार सिंह को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5 प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. लोगा, संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्रमांक 1004/713/2010/1-8/स्था.— श्री सैयद कौसर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 2-9-2010 से 10-9-2010 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2 श्री सैयद कौसर अली के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3 अवकाश से लौटने पर श्री सैयद कौसर अली को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4 अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5 प्रमाणित किया जाता है कि श्री सैयद कौसर अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

2. For clause (c) of sub-rule (3) of Rule 21, the following fees shall be substituted, namely :—

"(c) For permission for high rise building

Item No. (1)	Type of Construction (2)	Fees chargeable in rupees (3)
(1)	A building intended to be exclusively for residence	Rs. [illegible] per Square Meter Floor area space
(2)	A building intended to be used as shop, store, house, factory or for carrying on trade or business or any other commercial or industrial purpose.	Fees prescribed in item No. 1 with additional charge of 100% of amount of fees.
(3)	A building intended to be used as administrative block in a factory.	Fees as prescribed in item No. 1
(4)	A building intended to be used for shop-cum-residence purposes.	Fees specified in item No. 1 together with additional charge of 50% of such amount of fees
(5)	A building intended to be used for any special, charitable, cultural, educational purposes including hospital, school, club, Dharmshala and similar types of building and for any other purpose not specifically provided for	50% of fees specified for item No. 1"

3. In Rule 23, for the word "three years" the words "One year" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
[illegible], उप-सचिव

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2010

क्रमांक 2703/परि./2010.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. [illegible], दिनांक 28 जुलाई, 2008 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकार तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को [illegible] निम्नलिखित और निर्देश जारी करती है, जो [illegible] छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके प्रकाशन से प्रभावशील होगा :—

निर्देश

1. प्रकार वाहनों द्वारा प्रभार्य भाड़ा होगा :—
   (1) सामान्य प्रकार वाहन के मामले में — पाँच किलोमीटर की दूरी तक तीन रुपये प्रति यात्री एवं तत्पश्चात् प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिये 70 पैसे प्रति यात्री

(2) एच.आईवी/एड्स से पीड़ित मरीज [illegible] साथ एक सहायक व्यक्ति भी होगा जो उपचार के लिए [illegible] तक तथा आने या जाने के लिए यात्रा करते समय यात्रा किराये में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी अर्थात् [illegible] किराया नहीं लिया [illegible]

(3) (क) स. क्र.-01, में उल्लिखित दोनों पैरों से विकलांग व्यक्ति के लिए, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों अथवा शासकीय चिकित्सालय के अधिकारियों से जारी किये गये फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र,

(ख) एचआईव्ही/एड्स से पीड़ित मरीज के लिए, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी [illegible] एड्स नियंत्रण समिति, रायपुर, एआरटी केन्द्र या कैंसर अस्पताल के अधिकारियों से जारी किये [illegible] फोटोयुक्त प्रमाण पत्र स्वीकार्य होंगे तथा ऐसे प्रमाणपत्र विकलांग व्यक्ति द्वारा यात्रा के दौरान यात्री बस के [illegible] को प्रस्तुत किये जाएंगे.

(4) स. क्र. 01 से 03 में उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन पर अनुज्ञप्तिधारी (परमिट होल्डर) के विरुद्ध अधिनियम की धारा 86 के अधीन एवं परिचालक के विरुद्ध अधिनियम की धारा 34 के अधीन कार्यवाही की जायगी.

No. 2703/परि.वि /2010. - In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 67 of Motor Vehicle Act,1988 (No 59 of 1988) and in supersession of this Department Notification No 1682/Tech 264/TC/2008, dated 28th July, 2008 the State Government hereby issues the following further directions to State Transport Authority and Regional Transport Authority regarding fixation of the fares with effect from the publication in the Official Gazette of Chhattisgarh for stage carriages other than city services :—

DIRECTION

1 Fare chargeable by the Stage Carriages shall be—

(1)	In the case of Ordinary Stage Carriage	Rupees three per passenger up to a distance of five Kilometers and thereafter 70 paise per passenger per Kilometers or part thereof

2 The fare calculated under direction 1- shall be incresed—

(a)	For Ordinary Night Bus Service	Ten percent excess of the fare of Ordinary State Carriages.
(b)	For Ordinary bus Express Service	Ten percent excess of the fare of Ordinary Stage Carriages
(c)	For express Night Srevice (Ordinary Bus)	Fifteen percent excess of the fare of Ordinary Stage Carriages.
(d)	For Deluxe, Semi-Deluxe Sleeper Coach.	Twenty percent excess of the fare of Ordinary Stage Carriages
(e)	For Deluxe Express or/and Night Service Other than Deluxe Sleeper Coach A/C and Non A/C.	Five percent excess of the fare of Ordinary Stage Carriages in addition of fare mentioned in (d) above.
(f)	For Deluxe Sleeper Coach Non A/C	Twenty five percent excess of the fare of Ordinary Stage Carriages.
(g)	For Deluxe Sleeper Coach with A/C	Thirty percent excess of the fare of Ordinary Stage Carriages.

Note :—

1 The total amount of fare calculated as per above, any amount of fifty paise and above shall be reounded off to the next higher rupee, and any amount less than fifty paise shall be ignored.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

66

8

(2) [illegible]

(3) (क) [illegible]

(ख) [illegible]

(4) [illegible]

No. 1702/वी.पी./2010.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 67 of Motor Vehicle Act,1988 (No 59 of 1988) and in supersession of this Department Notification No. 1682/tech 264/TC/2008 dated 28th July, 2008 the State Government hereby issues the following further directions to State Transport Authority and Regional Transport Authority regarding fixation of the fares with effect from the publication in the Official Gazette of Chhattisgarh for stage carriages other than city Services —

DIRECTION

1. Fare chargeable by the Stage Carriages shall be—

(1)	In the case of Ordinary Stage Carriage	Rupees three per passengers up to a distance of five Kilometers and thereafter 70 paise per passenger per Kilometers or part thereof

2. The fare calculated under direction 1 shall be increased—

(a)	For Ordinary Night Bus Service	Ten percent excess of the fare of Ordinary State Carriages.
(b)	For Ordinary Bus Express Service	Ten percent excess of the fare of Ordinary Stage Carriages.
(c)	For express Night Service (Ordinary Bus)	Fifteen percent excess of the fare of Ordinary Stage Carriages
(d)	For Deluxe, Semi Deluxe Sleeper Coach.	Twenty percent excess of the fare of Ordinary Stage Carriages
(e)	For Deluxe Express or/and Night Service Other than Deluxe Sleeper Coach A/C and Non A/C.	Five percent excess of the fare of Ordinary Stage Carriages in addition of fare mentioned in (d) above.
(f)	For Deluxe Sleeper Coach Non A/C	Twenty five percent excess of the fare of Ordinary Stage Carriages
(g)	For Deluxe Sleeper Coach with A/C	Thirty percent excess of the fare of Ordinary Stage Carriages

Note :—

1. The total amount of fare calculated as per above, any amount of fifty paise and above shall be rounded off to the next higher rupee, and any amount less than fifty paise shall be ignored

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

[illegible]

(क)	साधारण सीमारहित बस सेवा के लिए	साधारण प्रकार गाड़ी के किराये से दस प्रतिशत अधिक।
(ख)	साधारण बस एक्सप्रेस सेवा के लिए	साधारण प्रकार गाड़ी के किराये से दस प्रतिशत अधिक।
(ग)	एक्सप्रेस सीमारहित सेवा के लिए (साधारण बस)	साधारण प्रकार गाड़ी के किराये से पन्द्रह प्रतिशत अधिक।
(घ)	डीलक्स, अर्द्ध डीलक्स शयन कोच के लिए	साधारण प्रकार गाड़ी के किराये से बीस प्रतिशत अधिक।
(ङ)	डीलक्स अथवा कोच वातानुकूलित तथा [illegible] डीलक्स एक्सप्रेस [illegible] सेवा के लिए,	उपमद (घ) में वर्णित किराये के अतिरिक्त, साधारण प्रकार गाड़ी के किराये से पाँच प्रतिशत अधिक
(च)	डीलक्स अथवा कोच वातानुकूलित [illegible] के लिए	साधारण प्रकार गाड़ी के किराये से पच्चीस प्रतिशत अधिक।
(छ)	डीलक्स शयन कोच वातानुकूलित के लिए	साधारण प्रकार गाड़ी के किराये से तीस प्रतिशत अधिक।

टीप :—

1. यथासंगणित संशोधित किराए की कुल राशि में पचास पैसे तथा उससे अधिक की किसी राशि को, अगले पूर्णांक रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा और पचास पैसे से कम की किसी राशि को छोड़ दिया जाएगा।

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

[illegible] अनुसूची में उल्लिखित व्यक्तियों के [illegible] होगी :—

अनुसूची

(1) निम्नलिखित व्यक्ति—

क. नेत्रहीन व्यक्ति

ख. मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति

ग. विकलांग व्यक्ति जो दोनों पैरों से चलने में असमर्थ हों,

घ. वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु [illegible] वर्ष या उससे अधिक हो, और

ङ. एचआईवी/एड्स से पीड़ित मरीज को उपचार के लिए, [illegible] उपचार के स्थान तक आने या जाने के लिए यात्रा करे, उन्हें किराये में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी, अर्थात् कोई किराया नहीं लिया जायेगा।

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

2 Night Bus Service means a service Ordinarily running during sunset and sunrise and which is having a distance of more than 200 Kms one way

3 Where the permit expressly allow the service as express service, it shall be entered in the Registration Certificate an permit and fare table shall be issued accordingly

4 Express Bus Service allowed as such in the permit must have stages of 50 Kms or more

The above direction shall be subject to the conditions mentioned in the Schedule below :-

SCHEDULE

(1) The following persons—
- a Blind person,
- b Mentally retarded person
- c Handicapped, who are not capable to walk on both the legs,
- d Senior Citizens whose age is eighty years or more and
- e. Patient suffering from HIV/AIDS travelling for the treatment from the place of residence to the place of treatment or vice versa shall be exempted 100% from the fare i.e. no fare shall be charged

(2) Patient suffering from HIV/AIDS travelling for the treatment from the place of residence to the place of treatment or vice-versa, along with one attendant, shall be exempted 100% from the fare, i.e. no fare shall be charged.

(3) (a) For handicapped persons with both legs mentioned in S. No. 01, a certificate with photograph from the officers of Panchayat and Social Welfare Department or officers of Government Hospital.

(b) Patient suffering from HIV/AIDS a certificate, with photograph from the Chief Medical Officers of the district or Officers of the C. G. State Aids Control Society, Raipur, ART Centers, or Cancer Hospital

Shall be acceptable and such certificate shall be presented by the handicapped person during the journey to the conductor/driver of the passenger bus.

(4) The breach of any condition mentioned in S. No. 01 to 03 shall be actionable under section 86 of the Act, against the permit holder and under section 34 of the Act against the conductor.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. [illegible], सचिव

Letter 2010

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक [illegible] खाद्य / 2010 [illegible] रायपुर, दिनांक 25 मई, 2010
प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय : एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों को अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड जारी करने के संबंध में ।

एच.आई.वी. संक्रमित लोगो को अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड जारी किये जाने के निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार द्वारा दिये गये है । इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति से भी एच.आई.वी. संक्रमित लोगों को अन्त्योदय अन्न योजना का राशनकार्ड जारी किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । एच.आई.वी. संक्रमित लोगों को अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड जारी किये जाने के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही शीघ्र की जावे :-

1 खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारियो द्वारा जिले में एच.आई.वी. संक्रमित लोगों के नाम एवं पता की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शीघ्र प्राप्त कर ली जावे। परियोजना संचालक छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति कार्यालय द्वारा उपरोक्त सूची जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराई जा रही है ।

2 उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरांत जिला स्तर पर वेब एप्लीकेशन के द्वारा संबंधित हितग्राहियों के राशनकार्ड तैयार कर लिया जावे । राशनकार्ड तैयार होने के उपरांत इसे जारी किये जाने हेतु जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा परियोजना संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा अधिकृत व्यक्ति

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to Unlock Unlimited Pages

हितग्राहियों को वितरण के लिए सौंप दिया जावे । संबंधित हितग्राहियों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी राशनकार्ड के हितग्राहियों को वितरण की पात्रता उपरोक्त जानकारियों से प्राप्त की जावेगी।

3 एच.आई.वी. संक्रमित लोगों के राशनकार्ड बनाने एवं वितरण की कार्यवाही में अत्यंत गोपनीयता बरती जावे एवं इनके राशनकार्ड में कोई भी विशिष्ट जानकारी अथवा चिन्ह का समावेश न किया जाये ।

4 यदि कोई एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति अन्त्योदय योजना का राशनकार्ड प्राप्त करने हेतु इच्छुक न हो तो ऐसे व्यक्तियों को राशनकार्ड प्राप्ति हेतु बाध्य न किया जाय एवं विभाग को ऐसा राशनकार्ड वापस किया जाना स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी होगी । ऐसे राशनकार्डों को खाद्य अधिकारी द्वारा तत्काल राशनकार्ड डेटाबेस से डिलीट कर दिया जावेगा ।

5 एच.आई.वी. संक्रमित अन्त्योदय राशनकार्डधारी को अन्त्योदय योजना के अन्य कार्डधारियों की भांति राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता एवं दर पर प्रतिमाह खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसिन प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए जिले में एच.आई.वी. से संक्रमित व्यक्तियों को जारी राशनकार्ड की संख्या की जानकारी विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

5.2.04

(दिलीप वासनीकर)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभो

Letter 2.6

[illegible] 2010/26 रायपुर, दिनांक 25 मई, 2010

प्रतिलिपि

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. मंत्रालय, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
3. आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एव उप संर संचालनालय, रायपुर ।
4. समस्त कलेक्टर/आयुक्त, छत्तीसगढ़ ।
5. परियोजना निर्देशक छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियत्रण समिति की ओर प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों की जिलेवार सूची खाद्य अधिकारियो को प्रदाय कराने हेतु जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शीघ्र उपलब्ध करावे ।
6. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

25.5.2010
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.सर

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expa

72

78

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर
C. G. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, BILASPUR
Vidhik Seva Marg, BILASPUR-495 001
Ph. No. : 07752-410530,417625, 410210 Fax : 07752- 410530
Official Website- www.cgslsa.gov.in e-mail ID cgslsa.cg@nic.in

क्रमांक 308 /V-07/2010 बिलासपुर दिनांक 15.04.2010

प्रति,

जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
समस्त छत्तीसगढ़

विषयः— H.I.V./AIDS पीड़ित व्यक्तियों को विधिक जागरुक किये जाने एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने बाबत।

संदर्भः— CARE INDIA (गैर शासकीय संगठन) का पत्र क्र. MRU/09-10/13, 13th April, 2010

कृपया उपरोक्त विषयांन्तर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में यह लेख है कि प्राधिकरण द्वारा आयोजित विश्व एड्स दिवस पर विशेष कार्यक्रम के अतिरिक्त नियमित विधिक सेवा कार्यक्रम / जागरूकता अभियान में H.I.V./AIDS से संबंधित विषय को शामिल किये जाने से विधिक सेवा के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति में सार्थक प्रयास होगा।

यद्यपि कि H.I.V./AIDS पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र व्यक्ति की पृथक श्रेणी में वर्णित नही किया गया है, तथपि अन्य श्रेणी के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों में यदि ऐसे पीड़ित व्यक्ति हों तो उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(ए0के0 सिंघल)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन क्रमांक 308/1 /V-07/2010 बिलासपुर दिनांक .04.2010

प्रतिलिपि

CARE INDIA, C-52, Shailendra Nagar, Raipur- 492 001 को उनके संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ।

(ए0के0 सिंघल)
सदस्य सचिव

(11)

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/पंचा./एम.डी.जी./ 89 /2014 रायपुर, दिनांक 01/10/2014

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत–छत्तीसगढ़
3. समस्त परियोजना निदेशक
   डी.आर.डी.ए., छत्तीसगढ़

विषय :– माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों को कियान्वयन हेतु जारी किया जाना।

संदर्भ :– जनहित याचिका (सिविल) (कमांक) 400 /2012 एवं जनहित याचिका (सिविल) (कमांक) 604/2013 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 15/04/2014 ।

★ ★ ★

विषयांतर्गत लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2014 को तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को विशेष पहचान देने एवं उनके विकास हेतु कल्याणकारी कार्यों, सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा एवं संविधान द्वारा प्रदत्त मानवअधिकारों के संरक्षण हेतु ऐतिहासिक निर्णय दिया गया । इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रति वेबसाइट (http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=41411) पर उपलब्ध है ।

उपरोक्त आदेश के पैरा 129 के माध्यम से केन्द्रीय एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों को संबंधित कार्य सौंपे गये हैं । इसी तारतम्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया एवं उक्त समिति द्वारा भारत सरकार को अनुशेसा सौंपी गई जिसका पालन राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग द्वारा किया जाना है तथा राज्य शासन द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर तक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशो का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित कार्य विन्दु निम्नानुसार है :–

- महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) अंतर्गत तृतीय लिंग के व्यक्तियों को लाभ दिया जाना है ।

आजीविका मिशन अंतर्गत तृतीय लिंग के व्यक्तियों को लाभ दिया जाए एवं स्व–सहायता समूह बनाकर आजीविका मिशन के कार्यो से जोड़ा जाए ।

इंदिरा आवास योजना अंतर्गत तृतीय लिंग के व्यक्तियों को आवास प्रदाय किया जाए । इस हेतु यदि तृतीय लिंग के व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे हैं तो उन्हें प्राथमिकता दिया जाना है।

शासन की ओर से संचालित कार्यक्रमों/उपक्रमों में तृतीय लिंग के व्यक्तियों के non-discriminatory रूप से जुड़ने एवं महिला/पुरूष के लिए प्रावधानित समान लाभ लेने हेतु व्यवस्था किया जाए ताकि लिंग आधारित भेदभाव समाप्त किया जा सके ।

तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु पृथक शौचालय के निर्माण हेतु कार्यवाही किया जाना है । सार्वजनिक स्थलों/भवनों में तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु आवश्यकता का आंकलन कर पृथक शौचालय, कमरे इत्यादि के निर्माण कराने हेतु कार्ययोजना प्रेषित करें । इसके लिए स्वच्छ पंचायत सप्ताह में विशेष स्वच्छता ग्राम सभा के माध्यम से स्वच्छता हेतु बनाई जाने वाली कार्ययोजना में सम्मिलित कर प्रस्ताव बनाकर अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें ।

ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण हेतु गठित स्थायी समिति द्वारा तृतीय लिंग के विकास हेतु किये जाने वाले कार्यो की समीक्षा की जाए एवं सामान्य सभा द्वारा समय–समय पर विशेष समीक्षा की जाए एवं ग्राम सभा में चर्चा हो ।

उपरोक्त कार्यो के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास लाया जा सकेगा । अतः आपसे अपेक्षित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तृतीय लिंग के व्यक्तियों के विकास हेतु उपरोक्त कार्य बिन्दुओं पर कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

(एम.के.राउत)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/पंचा./एम.डी.जी./90 /2014 रायपुर, दिनांक 01/10 /2014

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, मनरेगा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मिशन संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य आंजीविका मिशन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उपायुक्त, इंदिरा आवास योजना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Letter 2013

कार्यालय संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
ब्लॉक–2, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

कमांक 6992 /संचा.–खाद्य /2013 रायपुर, दिनाक 10/12/2013

प्रति,

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः– यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं के प्रशिक्षण, पुर्नवास तथा संरक्षण हेतु प्रस्तावित योजना/सहायता करने विषयक्।

संदर्भः– महिला बाल विकास का पत्र कमांक एफ 6–31/11/मबावि/ 13–14/50 रायपुर दिनांक 11.09.2013।

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। यौन व्यापार में संलिप्त/यौन उत्पीड़ित महिलाओं के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण कमांक 135/2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। राज्य में यौन व्यापार में संलिप्त ऐसी महिलाएं जिनके परिवार हेतु यदि पूर्व में अंत्योदय या प्राथमिकता वाले राशनकार्ड जारी नही हुए हो तो छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 में पूर्व से निर्धारित पात्रतानुसार राशनकार्ड हेतु पात्र यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं को राशनकार्ड जारी करने संबंधी कार्यवाही करते हुये विभाग को अवगत करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(विकास शील)
आयुक्त
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.
संचालनालय, नया रायपुर

कमांक 6993 /संचा.–खाद्य /2013 रायपुर, दिनांक 10/12/2013

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, महानदी भवन, रायपुर।
3. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.
संचालनालय, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
महानदी भवन- नया रायपुर

क्रमांक [illegible] /2013-14-50 रायपुर, दिनांक 11/09/2013

प्रति,

प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय नया रायपुर

विषयः— यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं के प्रशिक्षण, पुनर्वास तथा संरक्षण हेतु प्रस्तावित योजना/सहायता कार्यक्रम पर अभिमत/सहमति प्रेषित करने विषयक।

संदर्भ :— माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित याचिका क्रमांक 135/2010 तथा इस संबंध मे आहूत बैठक दिनांक 30 अगस्त 2013 ।

यौन व्यापार में संलिप्त/यौन उत्पीडित महिलाओं के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 135/2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। परित आदेशों के अनुक्रम में फिमेल सेक्स वर्करों की आवश्यकता की पूर्ति तथा उनके प्रशिक्षण व पुर्नवास हेतु विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही/योजना संचालन का प्रस्ताव है। इन्हें यौन व्यापार से बाहर लाने तथा समाज में सम्मान के साथ जीने का हक प्रदान करने हेतु अन्य विभागों की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कार्य योजना पर दिनांक 30 अगस्त 2013 को बैठक आयोजित कर प्रारंभिक चर्चा की गई थी। बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है।

प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम में आपके विभाग से निम्न बिन्दुओं पर अभिमत/सहमति/निर्देश प्रसारित किये जाने का अनुरोध है।

1. गरीबी रेखा के अंतर्गत सम्मिलित परिवार को जिन योजनाओं/सुविधाओं/सहायता की पात्रता है उन सभी योजनाओं/सुविधाओं का लाभ सेक्स वर्कर को भी दिया जायेगा। इस संबंध में आवश्यक परिक्षण करते सहमति अथवा असहमति की दशा में वैकल्पिक रूप से दी जाने वाली सुविधा/सहायता का विवरण।
2. यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं के सर्वेक्षण एवं चर्चा में स्पष्ट हुआ कि गरीबी व दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस कार्य में सलिप्त हैं। इनके द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत राशन की मांग की गई है। वर्तमान में चिन्हांकित 10094 तथा संभावित 10 हजार महिलाओं को मिलाकर लगभग 20 हजार महिलाओं को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना का लाभ दिया जाना होगा। कृपया इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं सहमति ।

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं पर सहमति/निर्देश/प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का अनुरोध है ।

(सुब्रत साहू)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पत्र क्रमांक ...6217 T.C....
सचिव/डाक/2012
दिनांक ...16.09.13......2012

13.09.13

(27)

यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओ के प्रशिक्षण, पुनर्वास तथा संरक्षण हेतु प्रस्तावित योजना पर आहूत बैठक दिनांक 30 अगस्त 2013 का कार्यवाही विवरण ।

यौन व्यापार में संलिप्त/शोषण प्रभावित महिलाओं के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक 135/2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलग-अलग तिथियों में आदेश पारित किये गये है। पारित आदेशों के कियान्वयन हेतु योजना तैयार करने की आवश्यकता तथा उनके प्रशिक्षण व पुर्नवास हेतु अन्य विभागो की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कार्य योजना पर श्री सुव्रत शाहू, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में मंत्रालय के कक्ष कमांक एस 2- 12 में बैठक आहूत हुई। उपस्थित प्रतिभागियों का विवरण परिशिष्ट- 01 पर है।

बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अवगत कराया गया।

"The word "life" in Article 21 of the Constitution of India has been interpreted in several decisions of this Court to mean a right to "life with dignity". It is only if a sex worker is able to earn a livelihood through technical skill rather than by selling her body that she can live with dignity, and that is why we have requested all the States and the Union of India to submit schemes for giving technical training to these sex workers

(1) Prevention of trafficking,
(2) Rehabilitation of sex workers who Wish to leave sex work, and
(3) Conditions conducive for sex workers who wish to continue working as sex? Workers with dignity.

परित आदेशो के कियान्वयन तथा प्रस्तावित कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. राज्य में यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं का चिन्हांकन किया जाना है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ एड्स कंट्रोल सोसायटी की सहायता से 13 जिलों का सर्वेक्षण कराया गया। जिलेवार आंकड़े परिशिष्ट-02 पर है। शेष जिलों में चिन्हांकन की कार्यवाही की जा रही है।
2. सर्वेक्षित/चिन्हांकित महिलाओं के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई व उनकी आवश्यकताओं का आंकलन करते हुए कार्ययोजना का प्रारूप तैयार किया गया है।
3. कार्य योजना के कियान्वयन में इन महिलाओं की जानकारी व परिचय गुप्त रखते हुए इन्हें सामान्य हितग्राहियों की तरह लाभ दिया जायेगा। इनके पहचान के लिए कोड कमांक होगा । आवश्यकता की दशा में योजना संचालन हेतु जिले/ क्षेत्र में नियुक्त समन्वयक द्वारा विभागों से संपर्क कर महिलाओं को लाभ दिलाया जायेगा। सभी विभाग प्रस्तावित बिन्दु पर सहमति प्रदान करने के पूर्व इनकी गोपनीयता व पहचान छिपाये रखने हेतु कोई कठिनाई हो तो तद्नुसार योजना में आवश्यक संशोधन करने का कष्ट करे।
4. चिन्हांकित जिलों/क्षेत्रो में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समन्वयक, परामर्शदाता एवं सहयोगियों की सेवायें ली जायेगी। यह कार्य स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संपादित कराया जायेगा।
5. महिला यौन कर्मी जो इस व्यवसाय से बाहर आना चाहती है उनके प्रशिक्षण व पुर्नवास के लिए

5.1 गरीबी रेखा के अंतर्गत सम्मिलि[illegible] योजनाओं/सुविधाओं /सहायता की पात्रता है उन सभी योजनाओं/सुविधाओं का लाभ सेक्स वर्कर को भी दिया जायेगा। [illegible] में सभी विभाग आवश्यक परीक्षण करते हुए इस बिन्दु पर अपनी सहमति प्रेषित करेंगे। असहमति की दशा में वैकल्पिक रूप से दी जाने वाली सुविधा/सहायता का विवरण प्रेषित करेंगे।

5.2 सेक्स वर्कर तथा बच्चों को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। स्मार्ट कार्ड के माध्यम से 30 हजार रूपये की सीमा कम है ऐसी महिलाओं को निरंतर इलाज की आवश्यकता होती है अतः निःशुल्क इलाज के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश/सहमति से अवगत करायेंगे।

5.3 यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं के सर्वेक्षण एवं चर्चा में स्पष्ट हुआ कि गरीबी व दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस कार्य में सलिप्त है। इनके द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत राशन की मांग की गई है। चिन्हांकित 10094 तथा संभावित 10 हजार महिलाओं को मिलाकर लगभग 20 हजार महिलाओं को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना का लाभ दिया जाना होगा। खाद्य विभाग प्रकिया एवं साहमति से अवगत करायेंगे।

5.4 यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं के सर्वेक्षण एवं चर्चा में स्पष्ट हुआ कि इनके बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र जारी नही किये जाते है फलस्वरूप कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। राजस्व एवं नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समुचित निर्देश प्रसारित किया जाना होगा।

5.5 शाला प्रवेश में इन महिलाओं के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाये। अभिभावक/पिता के नाम की अनिवार्यता न रखते हुए प्रवेश की समस्त कार्यवाही किया जाना होगा। स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मैदानी स्तर पर समुचित निर्देश प्रसारित किया जाना होगा।

5.6 गरीबी व अशिक्षा के कारण इन महिलाओं के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। इनसे हुई चर्चा अनुसार इनके स्कूलों व महाविद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवश्यकतानुसार छात्रवृत्ति, हास्टल सुविधा एवं शिक्षा के सभी अवसरों में समान भागीदारी की सुविधा दिया जाना है। स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस बिन्दु पर विस्तृत कार्ययोजना की अपेक्षा है।

5.7 इन महिलाओं से हुई चर्चा में यह स्पष्ट हुआ कि आवास न होने के कारण इन्हें सर्वाधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शासन की आवासीय योजनाओं में यौन व्यापार में संलिप्त महिलओं को न्यूनतम दर पर आवास सुविधा प्रदान करने हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग/नगरीय निकाय विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग से समुचित निर्देश प्रसारित करने की अपेक्षा है।

5.8 यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं की आवश्यकता की पूर्ति कौशल उन्नयन अथवा अनुदान योजनाओं में इन्हें प्राथमिकता दी जाये। इस संबंध में सभी विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाये का विवरण व प्रकिया जिसके तहत इन महिलाओं को लाभान्वित किया जा सकता है। सभी विभागों से ऐसी योजनाओं की जानकारी, प्रकियां तथा आवश्यकतानुसार संशोधित मार्गदर्शी निर्देश प्राप्त किया जाना होगा।

5.9 यौन व्यापार में संलिप्त विधवा/परित्यक्ता/एकल महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन अथवा पेंशन के रूप में पर्याप्त राशि दिये जाने हेतु समाज कल्याण विभाग से योजना प्रावधानों में आवश्यक संशोधन की अपेक्षा है।

5.10 चिन्हांकित क्षेत्र जहां यौन व्यापार में संलिप्त महिलायें निवास करती है उन क्षेत्रों में उनके बच्चों के लिए झूलाघर व रात्रिकालीन आश्रय गृह संचालित करने हेतु नगरीय प्रशासन विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही करना होगा। इस संबंध में सहमति व आवश्यक अनुदान राशि का विवरण उपलब्ध कराने की अपेक्षा हैं।

5.11 यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं को यदि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है/कानूनी कार्यवाही की जाती है तो घटनाक्रम एवं परिस्थितियों का आंकलन करते हुए प्रकरणों का संवेदनशीलतापूर्वक निपटारा किया जाये। यथासम्भव जमानत/मूचलके पर रिहा करने में मदद करने का प्रयास किया जावे। इन महिलाओं को निकटस्थ उज्जवला पी एंड आर होम अथवा स्वाधार होम में भेजने की कार्यवाही भी पुलिस प्रशासन द्वारा की जा सकती है। पुलिस प्रशासन की ओर से सभी पुलिस थानों को निर्देश प्रसारित करने की अपेक्षा है।

5.12 यौन व्यापार में संलिप्त महिलाओं की जानकारी किसी भी रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशित नही होना चाहिए न ही इन महिलाओं/घटनाक्रम का विपरीत चरित्र चित्रण किया जाना चाहिए। जनसंपर्क विभाग की ओर से सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को संवेदनशील बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही/निर्देश प्रसारित किये जाने की अपेक्षा है।

5.13 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका जो यौन व्यापार में संलिप्त पायी जाती है उन बालिकाओं के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज न करते हुए इन्हें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में रखते हुए आवश्यक काउंसिलिंग कराया जाकर बालिका गृहों में भेजे जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

5.14 सीएसएसडीएम तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इनकी भागीदारी व आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सहमति तथा फीस एवं अन्य प्रशिक्षण शुल्क के संबंध में विस्तृत विवरण प्राप्त किया जाना है।

5.15 इन महिलाओं को जिला समन्वयक आईटीपीए/जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुशंसा पर 10 हजार रूपये की ऋण राशि 3 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध करायी जायेगी यदि इन महिलाओं द्वारा स्व सहायता समूह का गठन किया जाता है तो अधिकतम 1 लाख रूपये तक की ऋण राशि समूह को 3 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। कोष द्वारा योजना प्रावधानो में आवश्यक संशोधन करते हुए मैदानी स्तर पर निर्देश प्रसारित किये जायेंगे।

5.16 इन महिलाओं को नियमित/प्रौढ़ शिक्षा अथवा शिक्षित करने हेतु आवश्यक योजना तैयार की जायेगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत की जायेगी। यदि नियमित शिक्षा में भागीदारी रखना है तो दी जानी वाली संभावित सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा है।

(30)

सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों से उपरोक्त बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही का प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया। धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(सुब्रत साहू)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
Email Id : henv.cg@nic.com

कमांक एफ 4–23 / 2005 / 32 नया रायपुर, दिनांक

प्रति,

आयुक्त,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल,
रायपुर

विषयः छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधानों की स्वीकृति विषयक ।

संदर्भः आपका ज्ञापन कमांक 5281 / सं.प्र.शा. / मुख्या / फा.नं.– / 16 दिनांक 05.01.2016

––00––

विषयान्तर्गत संदर्भित ज्ञापन का कृपया अवलोकन करें ।

2/ छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के प्रस्ताव अनुसार छ.ग. गृह निर्माण मंडल की आवासीय योजनाओं में आरक्षण संबंधी समस्त निर्देशों को छ.ग. गृह निर्माण मंडल हेतु निष्प्रभावी करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को उनके अधीन की आवासीय योजनाओं में विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार आरक्षण की स्वीकृति प्रदान करता है :–

क्र	वर्ग	आरक्षण का प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	06 %
2.	अनुसूचित जनजाति	04 %
3.	पिछड़ा वर्ग	06 %
4.	मंडल के कर्मचारियों के लिए	01%
5.	स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों	01 %
6.	सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों	02 %
7.	शारीरिक विकलांगों	03 %
8.	निराश्रित एवं विधवा महिला हेतु	02 %
9.	पत्रकार	02 %
10.	शासकीय कर्मचारी (रायपुर)	05 %
11.	शासकीय कर्मचारी (अन्य नगर)	03 %
12	तृतीय लिंग समुदाय / एच.आई.वी. संकमित वर्ग के लिए	02 %

(जी.एल. सांकला)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति
आवक क्र. 1138 दि. 20.1.16

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार विभाग
मंत्रालय,महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 10–27/2016/कौ.वि./42 नया रायपुर, दिनांक 23/08/2016

प्रति,

1. आयुक्त, सह–सचिव
रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
2. आयुक्त, सह–सचिव
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. कुल सचिव,
स्वामी विवेकानन्द, विश्वविद्यालय,
भिलाई, जिला दुर्ग।

विषयः–छत्तीसगढ़ राज्य परिषद् की प्रथम बैठक दिनांक 04.05.2016 को लिये गये निर्णय का पालन प्रतिवेदन।

––00––

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें एवं परियोजना संचालक के अर्धशासकीय पत्र कमांक 705 दिनांक 25.07.2016 के साथ कार्यवाही विवरण की छायाप्रति है।

2/ कृपया दिनांक 04.05.2016 के कार्यवाही विवरण में विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

(नीलकंठ टीकाम)
उप सचिव
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 4614/1824/16/38–1 नया रायपुर, दिनांक 17/06/2016

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषयः छत्तीसगढ राज्य एड्स परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पत्र कमांक 2933/249/टी.एल./2015 सत्रह–एक दिनांक 2 मई, 2016.

–0–

विषयांतर्गत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 4.5.2016 को छत्तीसगढ राज्य एड्स परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार निम्नलिखित बिन्दुओं पर समुचित कार्यवाही आपके स्तर पर किया जाना अपेक्षित है:–

अ/ एच.आई.वी. के साथ जी रहे विद्यार्थियों के लिए यदि ए.आर.टी. दवा लेने सेंटर जाने के लिए अवकाश लेने की आवश्यकता पड़ती है तो अनुपस्थिति की गिनती नहीं ली जावे तथा ऐसे छात्रों की उपस्थिति कम होने के कारण परीक्षा से वंचित न किया जाए।

ब/ समय समय पर एच.आई.वी. की रोकथाम के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए।

स/ कार्य स्थल पर किसी भी एच.आई.वी. के साथ जी रहे व्यक्ति/छात्र/छात्रा के प्रति भेदभाव न किया जाए।

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक 17/06/2016

पृ.क्रमांक 4615/1824/16/38–1

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
2. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
3. सचिव, छ.ग.शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर

की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव,
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

---0---

क्रमांक 8486 / 1840 / टी.एल. / 2016 / 20–दो नया रायपुर, दिनांक 29/9/16

प्रति,

1. संचालक
   राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
   रायपुर (छ.ग.)

2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   छत्तीसगढ़

विषय :– छत्तीसगढ़ राज्य एड्स परिषद की बैठक दिनांक 04.05.2016 में लिए गए निर्णय के पालन बाबत्।

---0---

राज्य में एच.आई.वी. के रोकथाम एवं व्यापक नियंत्रण हेतु मान. मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में छ.ग. राज्य एड्स परिषद के प्रथम बैठक दिनांक 04.05.2016 में लिये गये निर्णय दिनांक 25.07.2016 की छायाप्रति पालनार्थ संलग्न प्रेषित है।

2/– कृपया उक्त बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(अब्बास खान)
अवर सचिव
o/c छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

I/C CSM

पृ0क्रमांक 8487 / 1840 / टी.एल. / 2016 / 20–दो नया रायपुर, दिनांक 29/9/16

प्रतिलिपिः–

संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
o/c छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति
आवक क्र. 962 दि. 05/10/16

letter

s2124

प्रसन्ना आर.
(भा.प्र.से.)
संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
एवं परियोजना संचालक
छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति

कार्यालय परियोजना संचालक
छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति
कालीबाड़ी, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001
दूरभाष 0771–4081069
ई–मेल chattisgarhsacs@gmail.com
अर्द्ध.शा. पत्र क्रमांक 699 दिनांक 25/7/

छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग कक्ष–2
पंजी क्रमांक ....341/UER....
दिनांक ....16/09/...2016

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 04.05.2016 को आपके विभाग के सम्बंध में लिए गए निर्णय के पालन बाबत्।

संदर्भ : छत्तीसगढ़ राज्य एड्स परिषद की बैठक दिनांक 04.05.2016 का कार्यवाही विवरण।

---0---

राज्य में एच.आई.वी. के रोकथाम एवं व्यापक नियत्रण हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य एड्स परिषद के प्रथम बैठक में निम्नांकित निर्णय लिया गया :–

1. **किशोर शिक्षा कार्यक्रम** :– हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में किशोर शिक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना।

   इस हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर शिक्षा कार्यक्रम को एससीईआरटी के सहयोग से पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर क्रियान्वयन किये जाने हेतु आदेश प्रसारित किया जाए।

2. **एच.आई.वी. संक्रमित विद्यार्थियों को अवकाश की पात्रता** :– राज्य में एच.आई.वी. के साथ जी रहे विद्यार्थियों को शैक्षणिक दिवस में ए.आर.टी. की दवा लेने हेतु ए.आर.टी. सेंटर जाने–आने हेतु आवश्यकतानुसार अवकाश प्रदाय किया जाए जिसे शैक्षणिक दिवस में ही गिना जाए और उन्हें अवकाश प्रदाय किया जाए।

3. **प्रशिक्षण** :– विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एच.आई.वी. / एड्स विषय को समावेश किया जाना।

अतः उपरोक्त लिए गए निर्णय के परिपालन में आपकी ओर से एस.सी.ई.आर.टी. एवं राज्य के समस्त हाई स्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों को आदेश पत्र जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न :– " छत्तीसगढ़ राज्य एड्स परिषद" बैठक की कार्यवाही विवरण।

23/7

प्रसन्ना आर.

प्रति,

श्री विकास शील
(आई.ए.एस.)
सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर

क्र. / एड्स / सी.एस.एम. / 2016–17 / 700 रायपुर, दिनांक 25/7/16

प्रतिलिपि :

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छ.ग. शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कार्यालयीन प्रति।

प्रसन्ना आर.
(भा.प्र.से.)
संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
एवं परियोजना संचालक
छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति

राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़

(दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)
चतुर्थ तल, ब्लॉक डी–4, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
फोन नं./फैक्स 0771 – 2222406, 2222409 ई–मेल : sjsry.cg@gmail.com

क्र./09/सूडा/DAY-NULM/2016/3536 नया रायपुर,दिनांक 30/09/2016

प्रति,

सिटी प्रोजेक्ट आफिसर (समस्त)
दीनदयाल अंत्योदय योजना
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्
..... छ.ग.

विषयः– **छत्तीसगढ़ राज्य एड्स परिषद् की बैठक में पारित निर्णय के परिपालन संबंधी।**

संदर्भः–
1. श्री बी.एल. सोनी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्र. 5842/3069/2016/18 दिनांक 12.08.2016
2. श्री प्रसन्ना आर. (भा.प्र.से.) संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं परियोजना संचालक, छत्तीसगढ राज्य एड्स नियंत्रण समिति कालीबाड़ी, रायपुर का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 707 दिनांक 25.07.2016।

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि, मान. मुख्य सचिव महोदय, छत्तीसगढ शासन एवं पदेन अध्यक्ष छत्तीसगढ राज्य एड्स परिषद् की अध्यक्षता में दिनांक 04 मई 2016 को राज्य में एच. आई.वी. के रोकथाम एवं व्यापक नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ राज्य एड्स परिषद् की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिए गये :–

2. राज्य शहरी आजीविका मिशन – राज्य में एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों को उनकी क्षमता के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदाय कर रोजगार उपलब्ध कराया जाना।
3. प्रशिक्षण – विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एच.आई.वी. एड्स विषय को सम्मिलित किया जाना।

उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन हेतु संदर्भित पत्र क्र. 02 के द्वारा कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्राप्त हुए है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि, संलग्न कार्यवाही विवरण में बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रगति से अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

I/C CSM 5/10/16

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राज्य शहरी विकास अभिकरण
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

Letter sir 3

छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति
आवक क्र. 970 दि. 05/10/16

पृ.क्र./09/सूडा/DAY-NULM/2016/3537 नया रायपुर,दिनांक 30/09/2016

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. श्री प्रसन्ना आर. (भा.प्र.से.), संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं परियोजना संचालक, छत्तीसगढ राज्य एड्स नियंत्रण समिति कालीबाड़ी, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
3. कलेक्टर/अध्यक्ष, सिटी मिशन प्रबंधन ईकाई (डे–एनयूएलएम) ..... की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राज्य शहरी विकास अभिकरण
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 जून 2010—ज्येष्ठ 27, शक 1932

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक 1456/4163/2009/**मबावि**/50.—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधि. 2006 का 4) की धारा 36 की उपधारा (1) तथा (2) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—**
(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 है.

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;—
(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधि. 2006 का 4);

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 17 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग;

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, आयोग का अध्यक्ष;

(घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है, आयोग का सदस्य;

(ड) "सदस्य सचिव" से अभिप्रेत है, आयोग का सदस्य सचिव;

7. **अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की पदावधि :—**

(1) अध्यक्ष, जब तक की उसे अधिनियम की धारा 7 के अधीन उसके पद से हटा नहीं दिया जाता, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि या पैंसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा.

(2) प्रत्येक सदस्य, जब तक कि उसे धारा 7 के अधीन पद से हटा नहीं दिया जाता, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि या साठ वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा.

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी :—

(क) कोई व्यक्ति, जो अध्यक्ष का पद धारण करता है, पुन: नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा, और

(ख) कोई व्यक्ति, जो सदस्य का पद धारण करता है, सदस्य के रूप में पुन: नामनिर्देशन या अध्यक्ष के रूप में नाम-निर्देशन के लिए पात्र होगा;

परन्तु कोई व्यक्ति, जो दो अवधियों के लिये अध्यक्ष या सदस्य, किसी भी हैसियत में रह चुका है, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुन: नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा.

(4) यदि, अध्यक्ष बीमारी या अक्षमता के कारण, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ रहता है, तो राज्य सरकार किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण करने या उसकी पदावधि के शेष भाग तक अध्यक्ष का पद धारण करेगा.

(5) अध्यक्ष या सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा.

(6) मृत्यु, पद त्याग या किसी अन्य कारण से हुई कोई रिक्ति ऐसी रिक्ति होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी.

8. **अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें :—** अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें, जिनके लिये इन नियमों में उपबंध नहीं किया गया है, ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं.

9. **आयोग के कृत्य :—** आयोग निम्नलिखित समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) बाल अधिकारों के संरक्षण के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का परीक्षण तथा पुनर्विलोकन करना तथा उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये उपायों की अनुशंसा करना;

(ख) प्रतिवर्ष और ऐसे अंतरालों पर जैसा आयोग उचित समझे, राज्य सरकार को उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट देना;

(ग) बाल अधिकारों के अतिक्रमण का अन्वेषण करना और ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही शुरू करने की अनुशंसा करना;

(घ) आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, दुर्व्यापार, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना तथा शोषण अश्लील चित्रण तथा वेश्यावृत्ति द्वारा बालकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले समस्त कारणों का परीक्षण करना और ऐसे मामलों में समुचित उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करना;

(ङ) विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, जिनमें कठिन परिस्थितियों में बालक, उपेक्षित और प्रतिकूल परिस्थितियों में बालक, अपचारी बालक, किशोर, परिवार रहित/निराश्रित बालक तथा बंदियों के बालक सम्मिलित है, से संबंधित मामलों को देखना तथा समुचित उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करना;

(च) बाल अधिकारों के बारे में संधियों (ट्रीटीज) तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विलेखों का अध्ययन विद्यमान नीतियों, कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों का नियतकालीन पुनर्विलोकन की जिम्मेदारी लेना तथा बालकों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा करना;

(छ) बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध करना तथा उसे बढ़ावा देना;

1645/सा
20-7-16

कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन, तृतीय तल, सी–ब्लॉक, नया रायपुर
दूरभाष– 0771–2582088, 2582799
E-Mail ID - atc.cg@nic.in, cgtransportoffice@gmail.com Web - www.cgtransport.org

क्रमांक 1302/तक/टीसी/2016 नया रायपुर, दिनॉक 23/05/2016

प्रति,

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

विषयः- छत्तीसगढ़ राज्य एड्स परिषद की बैठक के संबंध में।

संदर्भः- अवर सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 3852/801/गृह-दो/विविध/2016 दिनांक 28.05.2016

---::000::---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से अवर सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर द्वारा छ.ग.राज्य एड्स परिषद् के गठन के संबंध में जानकारी देते हुए एच.आई.व्ही.संक्रमित व्यक्तियों के लिए निःशुल्क परिवहन व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध मे आवश्यक परिपत्र/निर्देश जारी करने का लेख किया गया है।

परिवहन विभाग द्वारा एच.आई.व्ही./एड्स से पीड़ित व्यक्ति एवं उनके एक परिसहायक के लिए बस किराया मे छूट का प्रावधान दिया गया है (अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2015)।

उक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

(अपर परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

23/5/2016
सहायक परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक /तक/टीसी/2016 नया रायपुर, दिनॉक / /2016

प्रतिलिपिः-

अवर सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर उनके पत्र दिनांक 28.05.2016 के संबंध में सूचनार्थ।

सहायक परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 7–1/2014/स.क./26 नया रायपुर, दिनांक 21–03–2016

प्रति,

संचालक,
समाज कल्याण,
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषयः तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को S.R.S. की सुविधा उपलब्ध कराये जाने विषयक।

आपको विदित ही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा तृतीय लिंग वर्ग कल्याण हेतु विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। इसी के तहत तृतीय लिंग वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा समय–समय पर S.R.S. (Sexual Reassignment Surgery) की लगातार मांग की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में यह सुविधा शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त संलग्न दोनों पत्रों का अवलोकन करें। निजी क्षेत्र में प्रदेश में सुविधाएं अधिक व्ययशील हैं। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पाण्डिचेरी से S.R.S. हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा दो तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को पाण्डिचेरी भेजे जाने हेतु अपनी सहमति दी गई है। प्रारंभिक स्तर पर प्राप्त सूचना के अनुसार S.R.S. का शुल्क पाण्डिचेरी स्थित संस्था द्वारा मात्र रुपये 35,000/– लिया जा रहा है।

2038
26.03.16

2. अतः इस सुविधा से उपरोक्त व्यय की पुष्टि करते हुए नियमानुसार संस्था के खाते में तृतीय लिंग वर्ग के दो व्यक्तियों के S.R.S. हेतु रुपये 70,000/– उनके खाते में जमा करने हेतु स्वीकृति दी जाती है। साथ ही दो व्यक्तियों के ट्रेन से आने–जाने एवं न्यूनतम व्ययों हेतु आवश्यक धनराशि भी स्वीकृत करें। कृपया की गई कार्यवाही से अवगत करायें।

सहपत्रः यथोपरि।

21-03-16
(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

DD(SW)
21 MAR 2016
संचालक
समाज कल्याण
छ.ग., रायपुर
D.Dir(S.W.)
22/03/2016

छत्तीसगढ़ शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर.

—:: आदेश ::—

नया रायपुर, दिनांक /10/2016

क्रमांक : /3069/2016/18 : राज्य शासन एतद् द्वारा एचआईवी संक्रमित नागरिकों एवं उनके एक सहयोगी को Anti Retroviral Therapy (ए.आर.टी.) सेन्टर तक आवागमन हेतु प्रदेश में संचालित सिटी बसों में निःशुल्क बस सेवा प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु ए.आर.टी. सेन्टर में पंजीकृत व्यक्तियों को नोडल अधिकारी द्वारा जारी निःशुल्क बस पास परिचय पत्र को सिटी बस सेवा में भी मान्य किये जाने आदेश प्रसारित करता है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बी.एल. सोनी).
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया रायपुर, दिनांक 29/10/2016

पृ.क. : 8026 /3069/2016/18

प्रतिलिपि :—

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. संयुक्त सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छ.ग. शासन।
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, छ.ग., नया रायपुर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग., नया रायपुर।
7. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें एवं परियोजना संचालक, छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति।
8. समस्त कलेक्टर सह पदेन अध्यक्ष, अरबन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसायटी, छत्तीसगढ़। कृपया सोसायटी की ओर से अनुबंधित बस ऑपरेटर को उचित आदेश प्रसारित करन सुनिश्चित करें।
9. समस्त संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग.।
10. समस्त आयुक्त सह पदेन सचिव, अरबन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसायटी, छत्तीसगढ़।
11. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परि./नगर पंचायत, छत्तीसगढ़।
12. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

29/10/16

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

प्रसन्ना आर.
(भा.प्र.से.)
संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
एवं परियोजना संचालक
छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति

कार्यालय परियोजना संचालक
छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति
कालीबाड़ी, रायपुर छत्तीसगढ़ 492001
दूरभाष : 0771-4081069
ई-मेल : chhattisgarhsacs@gmail.com
अर्द्ध.शा.पत्र कमांक 703 दिनांक 25/7/16

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 04.05.2016 को आपके विभाग के सम्बंध में लिए गए निर्णय के पालन बाबत्।

संदर्भ : छत्तीसगढ़ राज्य एड्स परिषद की बैठक दिनांक 04.05.2016 का कार्यवाही विवरण।

———0———

Resp Sir

राज्य में एच.आई.वी. के रोकथाम एवं व्यापक नियंत्रण हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य एड्स परिषद के प्रथम बैठक में निम्नांकित निर्णय लिया गया था :–

1. **रेड रिबन क्लब** :– राज्य के समस्त महाविद्यालयों/तकनिकी महाविद्यालयों में रेड रिबन क्लब की स्थापना किया जाना। जिसके माध्यम से एच.आई.वी. की रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक करना, स्वैच्छिक रक्तदान हेतु युवाओं को प्रेरित किया जाना।
2. **एच.आई.वी. संक्रमित विद्यार्थियों को अवकाश की पात्रता** :– राज्य में एच.आई.वी. के साथ जी रहे विद्यार्थियों को शैक्षणिक दिवस में ए.आर.टी. की दवा लेने हेतु ए.आर.टी. सेंटर जाने–आने हेतु आवश्यकतानुसार अवकाश प्रदाय किया जाए जिसे शैक्षणिक दिवस में ही गिना जाए और उन्हें अवकाश प्रदाय किया जाए।
3. **प्रशिक्षण** :– विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एच.आई.वी./एड्स विषय को सम्मिलित किया जाना।

अतः उपरोक्त लिए गए निर्णय के परिपालन में राज्य के समस्त महाविद्यालयों को आदेश पत्र जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न :– " छत्तीसगढ़ राज्य एड्स परिषद" बैठक की कार्यवाही विवरण।

with regds

23/7
प्रसन्ना आर.

प्रति,

डॉ. बी.एल. अग्रवाल
(आई.ए.एस.)
प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर

क्र./एड्स/सी.एस.एम./2016–17/ रायपुर, दिनांक .....

प्रतिलिपि :

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छ.ग. शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कार्यालयीन प्रति।

प्रसन्ना आर.
(भा.प्र.से.)
संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
एवं परियोजना संचालक
छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति
रायपुर